

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनू  
मोहन पुत्र स्व. रामलाल व अन्य. निवासी भोडकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू  
बनाम  
सरकार जरिये नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू ।

अपील

मु.न.23 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2020	यह अपील एडवोकेट श्री उम्मेद राज व रविराज सिगोदिया द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रिकार्ड मातहत तलब हो। प्रस्तुत तलवाने पर रेस्पोंडेंट की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.8.2020 को पेश हो।	
07.08.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 31.08.20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
31.08.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 18.09.20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
18.09.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 08/10/20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
08/10/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 23/10/20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
23/10/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/11/20 को पेश हो। अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू	



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26/3/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।  
पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत  
आदेशानुसार दिनांक.....19/4/24.....को  
पेश हो।

रीडर

19/4/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।  
पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत  
आदेशानुसार दिनांक.....9/5/24.....को  
पेश हो।

रीडर

9/5/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।  
पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत  
आदेशानुसार दिनांक.....30/5/24.....को  
पेश हो।

रीडर

30/5/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।  
पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत  
आदेशानुसार दिनांक.....27/6/24.....को  
पेश हो।

रीडर

24/6/24

पत्रावली पेश हुई। तीन बार आवाज लगवाए गए  
तीन बार आवाज लगवाने के बावजूद अनीगट  
की ओर से कोई उप. नहीं होने के कारण अनीगट  
अनीगट अथवा एजरी एवं मध्य प्रेस में  
व्यारीय की जाती है। बावजूद भी पाहल शक्ति  
दिए गए हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

इन्चुन